इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.-AGR-5-0018-2023-Sec-2-चौदह (AGR) .—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक 100/- रुपये पर मंडी फीस की वर्तमान प्रभावी दर 1.50/- रुपये के स्थान पर 1.00/- रुपये नियत करती है. जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में 1.00/- रुपये या उससे कम मंडी फीस की दर लागू हैं वह यथावत् लागू रहेंगी.

2. मंडी फीस के विभाजन के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे.

3. उक्त दर अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण भटनागर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.